कार्यालय जनपद न्यायाधीश, अलीगढ़।

(प्रशासनिक अनुभाग)

विज्ञप्ति

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक-**447**/मेन-ए/एडमिन. 'डी' सेक्शन/इलाहाबादः दिनांकितः- 11.01.2023 से मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के **परिपत्र संख्याः- 14/एडमिन 'डी' सैक्शन** दिनांकितः- 15.10.2022 में निहित पुनर्नियुक्ति विषयक निर्देशों के अधीन न्यायिक अधिष्ठान से सेवानिवृत्त वाहनचालकों में से ऐसे वाहनचालक जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो, की अधोलिखित तालिकानुसार प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अलीगढ़ में वाहन चालक संवर्ग के 01 रिक्त पद पर पुनर्नियुक्ति की जानी है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी जो एक वर्ष तक की अवधि के लिए (यदि प्रोन्नति व सीधी भर्ती के माध्यम से न भरी जाये या 65 वर्ष की आयु पूर्ण न हो जाये या इनमें से जो पहले हो तक) की जायेगी। भर्ती साक्षात्कार एवं सम्बन्धित कर्मचारी के पूर्व सेवा अभिलेख एवं वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के आधार पर मा० उच्च न्यायालय के अनुमोदनोंपरान्त की जायेगी।

उक्त पद का वेतनमान सम्बन्धित पद पर आवेदक को मिलने वाले अन्तिम वेतन से पेंशन की राशि काटकर वेतन के रूप में देय होगा।

आवेदन दिनांकः- 30.01.2023 की सायं 04 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

S. No.	Post Name	Vacancy	Emolument
01	Driver	1	Last pay drawn minus amount of pension

विज्ञप्ति समस्त अवकाशप्राप्त वाहन चालक के मध्य परिचालित कराई जाये। सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा हो। कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय,अलीगढ़ व मा० उच्च न्यायालय की अधिकारिक वेबसाईट पर भी अपलोड कराये।

विज्ञप्ति की एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, अलीगढ़ को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रतिष्ठित स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित हो।

दिनांकः- 23.01.2023

जनपद न्यायाधीश
जनपद न्यायालय अलीगढ़।